न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :— 03/2022

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टान
1. हरीराम पुत्र घीसाराम जाति मेघवाल, निवासी हरियामाली तह0 सोजत जिला पाली राज0।		1. कन्यादेवी पत्नी भंवरलाल 2. सुखीया देवी पत्नी लक्ष्मणराम जातिगण मेघवाल, निवासीगण हरियामाली तहसील सोजत जिला पाली राज0। 3. सरपंच ग्राम पंचायत हरियामाली तह0 सोजत जिला पाली राज0। 4.. तहसीलदार (भूमिधारक), सोजत।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध ना.स. 998 स्वीकृत दिनांक 05/02/2019 द्वारा ग्राम पंचायत हरियामाली

तारीख रजू :— 15.02.2022

उपस्थितिः—

1. श्री महेन्द्र नारायण ओझा, अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
2. श्री कैलाश दवे अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01 उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक — 30/05/2022

अधिवक्ता अपीलान्ट ने एक राजस्व अपील विरूद्ध रेस्पोडेन्टान अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस आशय की पेश की है कि सरहद मौजा हरियामाली, पटवार हल्का हरियामाली तह0 सोजत में खसरा संख्या 570 रकबा 4.7300 हैक्टर, खसरा संख्या 571 रकबा 0.3000 हैक्टर, खसरा संख्या 572 रकबा 6.6000 हैक्टर, खसरा संख्या 573 रकबा 1.1200 हैक्टर, खसरा संख्या 574 रकबा 3.7900 हैक्टर, खसरा संख्या 575 रकबा 0.5500 हैक्टर, खसरा संख्या 576 रकबा 0.4900 हैक्टर, खसरा संख्या 577 रकबा 0.5500 हैक्टर, खसरा संख्या 578 रकबा 0.5600 हैक्टर, खसरा संख्या 579 रकबा 0.5200 हैक्टर, खसरा संख्या 580 रकबा 0.1100 हैक्टर, खसरा संख्या 582 रकबा 0.0800 हैक्टर, खसरा संख्या 583 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा संख्या 584 रकबा 0.2700 हैक्टर, खसरा संख्या 585 रकबा 0.6500 हैक्टर, खसरा संख्या 586 रकबा 4.7000 हैक्टर, खसरा संख्या 587 रकबा 0.6100 हैक्टर, खसरा संख्या 588 रकबा 0.7100 हैक्टर, खसरा संख्या 589 रकबा 0.7800 हैक्टर, खसरा संख्या 590 रकबा 0.2900 हैक्टर, खसरा संख्या 591 रकबा 0.1200 हैक्टर, खसरा संख्या 592 रकबा 4.4600 हैक्टर, खसरा संख्या 593 रकबा 3.3500 हैक्टर कुल खसरा 23 रकबा 31.3000 है0 किस्म चा0दो0 की कृषि भूमि स्थित है। जिस भूमि में से अपीलान्ट ने रेस्पोडेण्ट संख्या 2 को 2/5 हिस्सा सुखीया का था व 3/5 हिस्सा अपीलाण्ट का था, इसमें अपीलाण्ट अपने हिस्से 3/5 यानि सम्पूर्ण आराजी का 3/100 हिस्सा में से 1/50 वां हिस्सा यानि 0.6260 हैक्टर भूमि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 को जरिये बेचान रजिस्ट्री करवा बेच दी थी, जिसका म्यूटेशन भरा जाना था, परन्तु सेवन से अपीलाण्ट को

भूमि का 2/5 हिस्सा कादंतमद म्यूटेशन रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के नाम भर दिया गया, जबकि अपीलाण्ट का 3/100 हिस्सा में से 1/50 हिस्सा रेस्पोडेण्ट संख्या 1 को बेचा गया था परन्तु म्यूटेशन के वक्त कन्यादेवी के नाम 2/5 वां हिस्से का म्यूटेशन भर दिया गया, जो म्यूटेशन निरस्त योग्य है। बेचाननामा की फोटोकॉपी साथ संलग्न है व उसी बेचाननामा के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा म्यूटेशन भरा गया है जो सेवन से रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के नाम 2/5 वां हिस्सा भूमि का म्यूटेशन दर्ज किया गया है जो निरस्त योग्य है व बेचाननामा अनुसार म्यूटेशन भरने का आदेश प्रदान किया जावे व वादग्रस्त म्यूटेशन निरस्त फरमाया जाने की ईश्तदुआ की है। इसी प्रकार धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट को जानकारी नही थी व दिनांक 03.02.2022 को नकल हेतु आवेदन किया तथा नकल प्राप्त होने पर अपील जानकारी के आधार पर अन्दर म्याद प्रस्तुत है। दिनांक 05.02.2019 से 02.02.2022 तक का समय कन्डोन फरमाया जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टान को जरिए सम्मन्स तलब किया गया। अपीलाण्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने राजीनामा पेश किया कि वादग्रस्त म्यूटेशन बेचान नामा दिनांक 25.06.2018 के अनुसार गलत भरा गया है। जबकि अपीलाण्ट ने रेस्पोडेण्ट संख्या 01 को जो भूमि बेची। वह भूमि व अपीलाण्ट के हिस्से की भूमि का 1/50 हिस्सा बेचा गया। जबकि संपूर्ण अपीलाण्ट की भूमि 2/5 हिस्सा का म्यूटेशन भर दिया गया है। लिहाजा वादग्रस्त म्यूटेशन भरने का आदेश निरस्त फरमाते हुए बेचान अनुसार म्यूटेशन भरने का आदेश प्रदान करावे व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का नाम तर्क फरमावे।

बहस अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट व अपीलाण्ट संख्या 01 सूनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने वक्त किया कि वादग्रस्त म्यूटेशन बेचान नामा दिनांक 25.06.2018 के अनुसार गलत भरा गया है। अपीलाण्ट ने रेस्पोडेण्ट संख्या 01 को जो भूमि बेची वह भूमि व अपीलाण्ट के हिस्से की भूमि का 1/50 हिस्सा बेचा गया। जबकि संपूर्ण अपीलाण्ट की भूमि 2/5 हिस्सा का म्यूटेशन भर दिया गया है। लिहाजा वादग्रस्त म्यूटेशन भरने का आदेश निरस्त फरमाते हुए बेचान अनुसार म्यूटेशन भरने का आदेश प्रदान करावे। जबाब बहस में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कोई आपति नही होना जाहिर किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत अपील, राजीनामा तथा फहरिस्त मय दस्तावेज का अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम में अंकित देरीना कारण युक्तियुक्त होने से देरीना अवधि का कण्डोन (क्षम्य) किया जाता है। माफिक राजीनामा ईश्तदुआ अनुसार रेस्पोडेन्ड संख्या 02 का नाम तर्क किया जाने का आदेश दिया जाता है। पंजीबद्ध दस्तावेज बैचान रजि0 दिनांक 25.06.2018 पु.स. जि.स. 12 पृस 72 क्र.स. 201803329100561 में बैचानकर्ता हरीराम पुत्र घीसाराम जाति मेगवाल का खसरा नम्बर 570 कुल किता 23 खसरे हिस्सा कुल रकबा 31.3000 में हिस्सा 1/20 का 3/5 अर्थात 3/100 हिस्सा (कुल रकबा 0.9390 हैक्टर) बनता है जिसमें से बैचान रकबा 0.6260 का बेचान,

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

खरीदकर्ता कन्यादेवी पत्नी भंवरलाल जाति मेगवाल को बैचान किया। उक्त पंजीबद्ध दस्तावेज के आधार पर ग्राम हरियामाली में ना0सं0 998 दर्ज किया गया जिसमें कन्यादेवी का हि 1/20 का 2/5 अर्थात 1/50 = 0.6260 दर्ज किया व शेष हरीराम का हिस्सा 1/20 का 1/5 अर्थात 1/100 = 0.3130 हैक्टर दर्ज हुआ जो कि पंजीबद्ध दस्तावेज बेचान अनुसार उक्त नामान्तरकरण में सही दर्ज किया हुआ है। निष्कर्षतः अपीलाण्ट द्वारा जिस नामान्तकरण को अशुद्ध मानते हुये अपील पेश की है व विधि अनुरूप सही होने से अपील अपीलाण्ट खारिज किया जाना न्यायोचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन, आधारहीन व पोषणीय नही होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 30/05/2022 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)